96/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 96/2016 अनवानी हरपाल सिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल एल तहसील श्रीगंगानगर बनाम 1–परमजीत सिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख नि0 5 एलएल तह0 श्रीगंगानगर 2–सरजीतकौर 3–राजविन्द्र कौर 4–मनजीतकौर 5–उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सहायक जिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में लम्बित वाद संख्या 225/2013 अनवानी हरपाल सिंह बनाम परमजीत सिंह वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि सहायक जिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पास था। चूंकि अब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सहायक जिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

५५० 21/02/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर